रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2008/फाल्गुन 27, 1929
No. 360] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2008/PHALGUNA 27, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

का.आ. 517(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 17 मार्च, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 44 और 45 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)/IV]

ओ. रवि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2008

S.O. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 17th day of March, 2008 as the date on which the provisions of Sections 44 and 45 of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)/IV]

O. RAVI, Jt. Secy.